

भारतीय रिज़र्व बैंक परिसर विभाग केन्द्रीय कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय भवन रखरखाव कक्ष		RESERVE BANK OF INDIA Premises Department Central Office Central Office Building Maintenance Cell
---	---	---

### बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त

विषयांकित कार्य के लिए एक खुली निविदा 18 जुलाई 2025 को मंगाई गई थी। निविदा की अनुसूची के अनुसार 28 जुलाई 2025 को सुबह 11.30 बजे परिसर विभाग, 5 वीं मंजिल फोर्ट, मुंबई में बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई थी।

इस संबंध में 06 फर्मों के 9 प्रतिभागियों ने बोली-पूर्व बैठक में भाग लिया और निविदा दस्तावेज के संबंध में प्रश्न पूछे।

(क) बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों की सूची:

क्र. सं.	नाम
	<b>भारतीय रिज़र्व बैंक</b>
1.	श्री हसनूर रहमान, समप्र
2.	श्री वी पी जुमले, प्रबंधक (तक-विद्युत)
3.	श्री रविन्द्र कुमार, सहायक प्रबंधक

(ख) बैठक में उपस्थित इच्छुक फर्मों के प्रतिनिधियों की सूची:

क्र.	प्रतिनिधि का नाम	ठेकेदार/ फ़र्म का नाम
1.	सुश्री नेहा राठी	मेसर्स शिराज लालकाका एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2.	श्री आजाद अंसारी	मेसर्स शिराज लालकाका एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
3.	सुश्री दिव्या सिंह	मेसर्स पिनेकल टेक्नो सॉल्यूशंस
4.	श्री बादल गजवानी	मेसर्स पिनेकल टेक्नो सॉल्यूशंस
5.	श्री सिद्धार्थ प्रताप सिंह	मेसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
6.	श्री विजय यादव	मेसर्स नेटवर्क टेकलैब
7.	श्री सऊद बोट	मेसर्स नेटवर्क टेकलैब
8.	श्री विनोद यादव	मेसर्स एक्पूटेक
9.	श्री राहुल कुलकर्णी	मेसर्स एक्टिविटी

2. फर्मों के सभी प्रतिभागियों को ई-निविदा और कार्य के दायरे का एक संक्षिप्त विवरण समझाया गया था। बैठक में बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर चर्चा की गई और अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया। उक्त का सारांश निम्नानुसार है:

क्र.	प्रश्न / सुझाव	स्पष्टीकरण / टिप्पणियाँ/ सशोधन
1	दोष देयता अवधि (डीएलपी) के बारे में स्पष्टीकरण	यह स्पष्ट किया गया कि पूरी प्रणाली के लिए डीएलपी की अवधि बैंक को उपकरण सौंपने की तारीख से न्यूनतम तीन वर्ष की होगी।

2	बैंक गारंटी की वैधता के संबंध में स्पष्टीकरण	यह स्पष्ट किया गया कि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज की धारा III के खंड संख्या 3.11.3 का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं।
3	एक बोलीदाता ने निविदा दस्तावेज में दिए गए अनुमोदित मेक के अलावा अन्य मेक की आपूर्ति/ प्रस्ताव के बारे में पूछा है।	यह स्पष्ट किया गया कि निविदाकर्ताओं को निविदा दस्तावेज की धारा VII के खंड संख्या 7.6 में दिए गए अनुमोदित मेक की आपूर्ति करनी होगी।

3. इसके अलावा, बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि वे एमएसटीसी पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) पर पंजीकृत हैं। बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर ई-निविदा के लिए बोली लगाते समय किसी भी समस्या का सामना करने पर एमएसटीसी के सहायक व्यक्तियों और परिसर विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए कहा गया था (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>).

4. ध्यानार्थ सूचित करना है कि पबोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त निविदा का एक भाग होगा। फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों/ स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा। सभी बोलीदाताओं को निविदा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ बोली पूर्व बैठक के कार्यवृत्त की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करने की भी सलाह दी गई।

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक  
परिसर विभाग, केंकावि, मुंबई